362

उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–7
संख्याः /XXIV(7)/3(5)/2015
देहरादून, दिनांकः 23 जुलाई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश के विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की महिला शिक्षकों एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की शिक्षणेत्तर महिला कार्मिकों सहित राज्य की स्थायी एवं अस्थायी महिला सेविकाओं को 135 दिन के प्रसूति अवकाश की सीमा को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 250/वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7 दिनांक 24 अगस्त, 2009 द्वारा 180 दिन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7 द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 269/XXVII(7)34/2010–11 दिनांक 06 दिसम्बर, 2014 द्वारा सरोगेसी के माध्यम से (surrogated mother) बच्चा प्राप्त करने वाली माता को प्राकृतिक माता की तरह मातृत्व अवकाश 180 दिनों हेतु अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, किन्तु वित्त विभाग के उक्त शासनादेशों में उक्त लाभ यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को अनुमन्य नहीं किया गया है।

2– राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों के पद यू0जी0सी0 वेतनमान से आच्छादित हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(UGC) विनियम, 2010 के नियम/प्रस्तर–8 में महिला शिक्षकों के लिए प्रसूति अवकाश (Maternity Leave) की व्यवस्था प्राविधानित है, जिसकम में राज्य सरकार में कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–806/XIII-II/7(2)2012 दिनांक 26 नवम्बर, 2014 द्वारा कृषि विभाग के अन्तर्गत आने वाले राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित महिला शिक्षिकाओं को 180 दिन का प्रसूति अवकाश की अनुमन्यता शासनादेश दिनांक 24 अगस्त 2009 के शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं। यू0जी0सी0 वेतनमान से आच्छादित राज्य के कृषि विभाग की नियमित महिला शिक्षिकाओं को उक्त लाभ अनुमन्य होने तथा उच्च शिक्षा विभाग के यू0जी0सी0 वेतनमान से आच्छादित नियमित महिला शिक्षिकाओं को उक्त लाभ अनुमन्य न होने पर विसंगति की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

3– उक्त के दृष्टिगत यू0जी0सी0 नियमों में उल्लिखित प्रतिबंधों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/नियमों में प्राविधानित शर्तों के अधीन उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की नियमित महिला शिक्षिकाओं को 180 दिन का मातृत्व/प्रसूति अवकाश अनुमन्य किये जाने तथा सरोगेसी के माध्यम से (surrogated mother) बच्चा प्राप्त करने वाली माता (शिक्षिका) को भी प्राकृतिक माता की तरह 180 दिनों का मातृत्व अवकाश तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4– विश्वविद्यालय/निदेशालय द्वारा संगत सेवा नियम/परिनियम/अधिनियम/नियम में तदनुसार प्राविधान/संशोधन की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

क्रमशः.....2/–

(9)

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 313/XXVII(7)/2015 दिनांक 16.07.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 720 (1)/XXIV(7)/3(5)/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तराखण्ड।
3– कुलपति, उच्च शिक्षा के समस्त राज्य विश्वविद्यालय।
4– निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड।
5– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6– रजिस्ट्रार जनरल, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल।
7– निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
8– प्राचार्य, उच्च शिक्षा के समस्त महाविद्यालय, द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
9– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
10– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– वित्त नियन्त्रक सम्बन्धित विश्वविद्यालय/निदेशालय।
12– उप निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून।
13– वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
14– उच्च शिक्षा के समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
15– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।